

अनवान - अनीष कुमार vs. राज. गाकाउजबरे
 स. अ. सं. 04/2022 श्रीमधारी, तहसील 42 देपुरी

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12/4/24	<p>पञ्जावती प्रह्लर डुरी अधिका उपायुक्त पञ्जावती का भवलोपक विषय - जंशिए में पुकरण एउ उकार है। अनीष मरीष कुमार ने अनीष धारा 75 नामक अधिका अन्तर्गत प्रह्लर एउ विवेक किया कि उनके पिता बीजा पुज हका जी की हवि प्रति ग्राम नरनार में आई डुरी बीजा जी की मृत्यु उपरांत राजल दारिजे ने विरक्त का नामांतरकरण सं 1298 ग्राम नरनार दायर किया जिसे अनीष के नाम मोगील दर्ज कर दिया जबकि मोगील नाम का कोई पुज बीजा जी के नहीं था। अनीष उक्त नाम नामांतरण का अंतः उक्त नामांतरकरण के निरस्त कर सही नाम मरीष कुमार दर्ज किया जावे। अनीष के नाम अनीष ने विरक्त दस्तावेज आधार नार, पत नार, शैखि वे नार (तलउत किर) अनीष एवं प्रह्लर दस्तावेजों के भवलोपक से स्पष्ट है कि अनीष मरीष कुमार ही बीजा जी का पुज है एवं नामांतरकरण में मोगी- लाल दर्ज कर दिया गया है अतः ग्राम नरनार के नामांतरकरण सं 1298 दि 16-12-20 का निरस्त किया जाता है एवं तहसील देपुरी के निर्दिष्ट किया जाता है कि मृतक बीजा के लही वारिदातों की जंच कर पुनः नामांतरकरण दायर करे। निर्दिष्ट जे रजतक पुताया गया। पञ्जावती के जल गुणा होकर नम्बर के 52 है। वात नारेंग तहसील देपुरी के लिये जावे।</p> <p style="text-align: center;"> <u>Mun</u> 12/4/24 (जितेंद्र कुमार पाण्डे) अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली, जिला-पाली </p>	